45

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 219/2021

पंजाब नेशनल बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय 7 प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका नई दिल्ली 110007, सर्किल सस्त्रा कार्यालय हनुमानगढ (राजस्थान)

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री शीशराम मीणा पुत्र श्री स्व0 सहदेव राम मीणा, पता डांगर, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, (राज0)
2. श्री नन्दलाल पुत्र श्री सुल्तान सिंह, पता खेमू की ढाणी, चिडावा, जिला झुंझुनूं, (राज0)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटाइजेशन ऑफ रिकंन्शट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

———

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री विजय सिंह चौधरी (पंजाब नेशल बैंक) — प्रार्थी बैंक की ओर से
2. अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 23.02.2022

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी बैंक से रूपये 8,00,000/— का गृह ऋण लिया था एवं अप्रार्थीगणों ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान सिक्योरिटी के रूप मे अपनी निम्न अचल सम्पत्ति असल कागजत मय उस पर निर्मित तामीरात के प्रार्थी बैंक के पक्ष मे साम्यिक बंधक किया जो कि निम्न प्रकार से हैः—

बंधक सम्पत्ति का विवरण
1. श्री शीशराम मीणा पुत्र श्री स्व0 सहदेव राम मीणा की रिहायशी सम्पत्ति जो ग्राम डांगर, ग्राम पंचायत लाखू, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 325.16 वर्गमीटर (1/6 एरिया संपरिवर्तित भूमि खसरा नं0 357/138 का एरिया 0.1951 हैक्ट्येयर) है। चतु सीमा उत्तर मे :— लीलाधर का मकान दक्षिण मे :— रास्ता पूर्व मे :— रास्ता पश्चिम मे :— श्यामलाल का मकान

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 15:35:52 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सका और ऋण के भुगतान के व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.03.2021 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया। अप्रार्थीगणों द्वारा उसके खाते मे गृह ऋण रूपये 6,50,826.86/— अक्षरे रूपये (छः लाख पचास हजार आठ सौ छब्बीस रूप्ये व छियासी पैसे मात्र) दिनांक 01.04.

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

2021 से मय ब्याज व खर्चो का पूर्ण भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 25.05.2021 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गये है, इसके बाद भी देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नही दिया गया है। प्रार्थी द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उक्त सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा दिनांक 23.08.2021 को ले लिया गया था। अप्रार्थीगण ने घारा 13 (2) के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस मे वर्णित अवधि मे देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नही किया है। इस उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उक्त चरण सं0 2 मे वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 की सहपठित 13 (4) धारा के तहत प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी बैंक को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित अप्रार्थीगण की अचल सम्पत्ति का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने के आदेश पारित फरमावें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने प्रार्थी प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी सं0 1 शीशराम मीणा पुत्र स्व0 श्री सहदेव राम मीणा मालिक ग्राम डांगर, ग्राम पंचायत लाखू, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं स्थित सम्पति जिसकी माप 325.16 वर्गमीटर (1/6 एरिया संपरिवर्तित भूमि खसरा नं0 [illegible] 0.951 हैक्टेयर) है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है का पजेशन प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 15:35:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 23.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 15:35:52 IST
Reason: SelfAttested